| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| | **परमानन्द शर्मा बनाम लोक सूचना अधिकारी (सहायक निदेशक सांख्यिकी कार्यालय संभागीय आयुक्त), जयपुर**<br><br>**अपील संख्या जीसीएमएस नम्बर 2025/1554** | |
| 04.09.2025 | पत्रावली पेश हुई। लोक सूचना अधिकारी की टिप्पणी क्रमांक प.स. /सम्पर्क पोर्टल/संआज दिनांक 03.09.2025 प्राप्त। जिसमें उन्होंने अंकित किया है कि प्रार्थी द्वारा प्राप्त प्रार्थना पत्र दिनांक 25.03.2025 को राजस्थान सम्पर्क पोर्टल पर क्रमांक 042507822539858 दिनांक 03.04.2025 को दर्ज कर दिनांक 22.05.2025 को कार्यालय हाजा की भू अभिलेख शाखा के पत्रांक 171 दिनांक 22.05.2025 द्वारा आवश्यक कार्यवाही हेतु जिला कलक्टर कोटपूतली–बहरोड को भिजवा दिया गया है।<br><br>हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा प्रकरण पर मनन किया गया। जिससे जाहिर है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना सम्पर्क पोर्टल पर दर्ज कर कार्यालय हाजा के पत्रांक 171 दिनांक 22.05.2025 द्वारा मूल प्रार्थना पत्र ही जिला कलक्टर कोटपूतली –बहरोड को आवयश्क कार्यवाही हेतु भिजवाया जा चुका है। अपीलार्थी जिला कलक्टर कोटपूतल–बहरोड से सूचना प्राप्त करने हेतु स्वतंत्र है। ऐसी स्थिति में अपीलार्थी की अपील खारिज किये जाने योग्य है।<br><br>अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी खारिज की जाती है । निर्णय की प्रति उभयपक्ष को भिजवायी जावें । पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो । आदेश सुनाया गया ।<br><br>(पूनम)<br>संभागीय आयुक्त,<br>जयपुर | |